न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 12/2005

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, पिण्डवाडा ।

बनाम

अप्रार्थी

1.मैसर्स लक्ष्मण सोमाजी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत नांदिया एवं अस्थाई अटैचमेन्ट ग्राम पंचायत लौटाना।
2.क्रय विक्रय सहकारी समिति सरूपगंज।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 03.05.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.09.2000 को जिला रसद अधिकारी सिरोही के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। उक्त सत्यापन में अप्रार्थी के पास स्टॉक से अधिक भण्डाराण में 220 लीटर केरोसीन एवं 30 क्विंटल गेहूं अधिक पाया गया। जिसे कब्जे सरकार लेकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से गेहूं व केरोसीन को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2004 को निर्णित हो चुका था जिसकी अपील न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही में की गई। न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा उक्त निर्णय अपास्त किए जाने से पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 28.09.2000 को अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया तो उसमें स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 2470 लीटर केरोसीन होना चाहिए था परन्तु भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त केरोसीन के अलावा अलग से भण्डारित एक ड्रम में 220

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

लीटर केरोसीन पाया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी के पास स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 62 क्विंटल 88 किलोग्राम गेहूं होना चाहिए था परन्तु भौतिक सत्यापन के दौरान अप्रार्थी के पास 92 क्विंटल 88 किलोग्राम गेहूं पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी के पास 30 क्विंटल गेहूं अधिक पाया गया जिसका अप्रार्थी के पास कोई भी साक्ष्य या बिल उपलब्ध नहीं था। अप्रार्थी से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त केरोसीन एवं गेहूं क्रय विक्रय सहकारी समिति सरूपगंज का है लेकिन इसको साबित करने का कोई भी साक्ष्य नहीं था। अतः 30 क्विंटल गेहूं एवं 220 लीटर केरोसीन को कब्जे सरकार लेकर निस्तारण हेतु प्रकरण पेश है। अतः केरोसीन ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी स्वयं द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त केरोसीन व गेहूं क्रय विक्रय सहकारी समिति सरूपगंज का था। जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर क्रय विक्रय सहकारी समिति को अधिकृत किया था। उक्त समिति को नांदिया में अन्य कोई स्थान नहीं मिलने के कारण उचित मूल्य की दुकान पर ही अपना सामान रखा एवं उचित मूल्य की दुकानों के ड्रमों का उपयोग करते रहे। उक्त माल सहकारी समिति होने के कारण अप्रार्थी के पास बिल उपलब्ध नहीं था। सहकारी समिति स्वयं अपना माल होना स्वीकार कर रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमावें।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि दिनांक 28.09.2000 को अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया तो उसमें स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 2470 लीटर केरोसीन होना चाहिए था परन्तु भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त केरोसीन के अलावा अलग से भण्डारित एक ड्रम में 220 लीटर केरोसीन पाया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी के पास स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 62 क्विंटल 88 किलोग्राम गेहूं होना चाहिए था परन्तु भौतिक सत्यापन के दौरान अप्रार्थी के पास 92 क्विंटल 88 किलोग्राम गेहूं पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी के पास 30 क्विंटल गेहूं अधिक पाया गया जिसका अप्रार्थी के पास कोई भी साक्ष्य या बिल उपलब्ध नहीं था। अप्रार्थी से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त केरोसीन एवं गेहूं क्रय विक्रय सहकारी समिति सरूपगंज का है। क्रय विक्रय सहकारी समिति स्वयं अपना माल होना स्वीकार कर रही है इसके लिए उनके द्वारा बिल भी प्रस्तुत किए गए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों से स्पष्ट है कि दुकान का निरीक्षण दिनांक 28.09.2000 को किया गया एवं गेहूं का बिल सहकारी समिति द्वारा दिनांक 29.09.2000 को जारी किया गया जो निरीक्षण की दिनांक से एक दिन बाद का काटा हुआ बिल है। निरीक्षण के एक दिन बाद बिल काटा जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। केरोसीन के [illegible] में कोई [illegible] नहीं पाया जाता है जिससे यह माना जा सके कि उक्त माल सहकारी समिति सरूपगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या एक की दुकान पर रखवाया हो। उपरोक्त विवेचन से यह न्यायालय उक्त माल को जब्त सरकार किया जाना उचित मानता है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 220 लीटर केरोसीन एवं 30 क्विंटल गेहूं को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

चूंकि कब्जे सरकार लिए गए 30 क्विंटल गेहूं एवं 220 लीटर केरोसीन का अंतरिम निस्तारण उपभोक्ताओं को वितरण के माध्यम से होकर प्राप्त राशि रूपये 16119/– जरिए चालान नम्बर 298 दिनांक 05.01.2001 द्वारा राजकोष में बतौर अमानत जमा हो चुके है। अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही उक्त राशि प्रोपर लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाई करे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner